न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. धन्नाराम पुत्र नेमाराम 2. जीताराम पुत्र रूपाराम 3. बीजाराम पुत्र रूपाराम 4. सेणी देवी पुत्री रूपाराम 5. आसी देवी पुत्री रूपाराम 6. रूपाराम पुत्र लक्ष्मणराम 7. चम्पा देवी पत्नि नारायणलाल जातिगण सीरवी निवासीगण बेरा पावटी, बिलावास तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. बुधाराम पुत्र देवाराम 2. पुष्पादेवी पुत्री देवाराम 3. कुशाराम उर्फ सावरिया पुत्र नवलाराम जातिगण घांची निवासीगण जोधपुरिया दरवाजा के बाहर सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान। 4. तहसीलदार भूमिधारक सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 20/2022

उपस्थितिः–

01. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री ताराचंद भाटी अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 29/07/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने, राजस्व प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में प्रार्थीगण व अप्रार्थी स0 1 से 3 की संयुक्त कृषि भूमि ख.नं. 988 रकबा 0.21 है0 की आयी हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी सं0 1 का 31/130 हिस्सा, प्रार्थी स0 2 से 6 का 1/2 हिस्से का 5/7 अर्थात् सम्पूर्ण का 5/14 हक हिस्सा एवं प्रार्थी सं0 7 का 10/78 कब्जा काश्त स्थित हैं। वादगस्त कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 1 व 2 प्रत्येक का 1/15 हिस्सा बनता है तथा अप्रार्थी सं0 3 का 1/7 हक हिस्सा बनता हैं। जिस अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा हैं। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपने प्रिंसिपल विक्रेता बुधाराम से उनके हक हिस्से की भूमि खरीद करने से अप्रार्थी सं0 3 नाराज हो गया तथा अप्रार्थी स0 1 द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि के कब्जे काश्त में बाधा करना शुरू कर दिया। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में बेदखल करने की नियत से दंगा फसाद करते रहते हैं तथा प्रार्थीगण की पूर्व में की गई दीवार में भी तोड फोड कर नुकसान कारित किया है, जिसका फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया हैं। अप्रार्थीगण वादस्थ भूमि के बंटवाडा करने से साफ मना कर दिया एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू हैं। यदि वे ऐसा करने में सफल होते है, तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से में दखल अंदाजी नहीं करने एवं बेचान व अन्य हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 की ओर से श्री ताराचंद भाटी द्वारा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

1, 2 व 4 को [illegible] पत्र हेतु पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर आज जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाता है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक हिस्से में दखल अदाजी करने पर उतारू है जिन्हें जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका जावे। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है। सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, फर्हरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया गया। वस्तुत. वादस्थ भूमि सयुक्त सामलाती कृषि भूमि हैं। सहखातदेार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट 1955 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 29/07/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)